


30.4.25

पत्रावली पेश हुई। वारी अधिवक्ता उपस्थित वारी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अधिन किया गया कि वे प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते ही अतः खार्ज फटाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वारी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया वारी का कार्यवाही नहीं चाहते ही अतः वारी का वाद इसी तरह पर अदम पेटवी के खार्ज किया जाता है। निर्णय तो इजलास हुआ था। प्रकरण फैलल शुमार होकर नम्बर ले कर हो।

  
(सोनिनी शुमाटी)  
DMS